

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 223 / 16-17

जयकांत सिकदार बनाम् बिलो मंडल

-: आदेश :-

14.02.2023

वर्तमान वाद की प्रक्रिया उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा, आर0एम0ए0 केस नं0-05 / 19-20 में दिनांक-22.09.2021 को पारित आदेश द्वारा इस वाद अंतर्गत दिनांक-22.02.2019 को पारित आदेश निरस्त करते हुए मामला स्वत्व संबंधी बताते हुए वाद की कार्रवाई समाप्ति उपरांत प्राप्त निदेश के आलोक में प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित आदेश के उपरांत पुनः उक्त वाद में आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। उभय पक्ष के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः बिना किसी टिप्पणी के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(8)
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

(8)
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Subhash Chandra Chowdhary
Adv.
17.04.23
Seen
Kamipasa
Adv.
17/04/23